न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राज०)
पीठासीन अधिकारी :→ श्री रामकिशन मीणा (RAS)

प्रथम

प्र. सं. ।।3/19

अरजावान

देवेन्द्र उर्फ द्वारकालाल पुत्र अर्जुन दत्तक पुत्र हरदयाल जाति धाकड़ निवासी कामखा तह० बारां
— वादी

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां — प्रतिवादी

दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 91 RTA

अभिभाषक :→ 1. श्री महेश प्रकाश गालव इत्यादी
2. पेशीकार सरकार

निर्णय दिनांक 22/12/2020

वादी की ओर से जरिये अभिभावक प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कामखा की आराजी ख. नं. 1291 रकबा 0.03 है., 1292 रकबा 0.04 है., 1434 रकबा 0.91 है., 1445 रकबा 0.18 है., 1447 रकबा 0.40 है., 1449 रकबा 9.14 है. किता 6 रकबा 10.70 है. कागजात राज में द्वारकालाल पुत्र अर्जुन दत्तक पुत्र हरदयाल के नाम दर्ज है जो रजिस्टर्ड वसीयत श्री हरदयाल वल्द किशोरीलाल धाकड़ निवासी कामखा दिनांक 4/7/1983 के आधार पर तहसीलदार बारां के निर्णय दिनांक 12/4/2002 की पालना में खाता इन्तकाल नंबर 632 दिनांक 18/6/2002 से दर्ज हुई है, यही विवाद की विषयवस्तु है। वादी का नाम शैक्षणिक दस्तावेज व अन्य कागजात राज में देवेन्द्र है तथा बोलता नाम द्वारकालाल है जो एक ही व्यक्ति है। इसी कारण वसीयतकर्ता हरदयाल ने वसीयत दिनांक 4/7/1983 में वादी का नाम देवेन्द्र उर्फ द्वारकालाल पुत्र अर्जुन दर्ज करवाया है तथा निर्णय दिनांक 12/4/2002

14/1/21
उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

(2)

तहसीलदार बारां ने भी जोद पुत्र देवेन्द्र उर्फ झारकलाल के नाम जरिये वसीयत के मुताबिक नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया है परन्तु नामान्तरकरण दर्ज करते समय कर्मचारियों की भूल से देवेन्द्र उर्फ झारकलाल के स्थान पर झारकलाल पुत्र अर्जुन दत्तक हरदयाल दर्ज हो गया है जिससे खाते जमाबंदी में भी झारकलाल पुत्र अर्जुन दत्तक हरदयाल ही दर्ज चला आ रहा है। वादी का नाम समस्त दस्तावेज में देवेन्द्र दर्ज है परन्तु उक्त खाते में झारकलाल दर्ज होने से वादी को सरकारी व गैरसरकारी कार्य कराने, ऋण-प्राप्त करने आदि में बाधा व असुविधा पैदा होती है। इस कारण उक्त खाते में वादी झारकलाल के स्थान पर देवेन्द्र दर्ज करवाने का वैधानिक अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाता संख्या 172 ग्राम बामला में झारकलाल के स्थान पर देवेन्द्र पुत्र अर्जुन दत्तक पुत्र हरदयाल दर्ज करने की डिक्री प्रदान करने की कृपा करें। विकल्प में झारकलाल से पूर्व देवेन्द्र दर्ज फरमाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी ~~तहसीलदार~~ सरकार ने जवाब दावा इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम बामला के खाता संख्या 172 किता 6 रकबा 10.70 हे. पर झारकलाल पुत्र अर्जुन दत्तक पुत्र हरदयाल जाति धाकड़ का नाम दर्ज है। वसीयत निर्णय दिनांक 29/5/2002 के आधार पर नामान्तरण सं. 632 से उक्त भूमि पर प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हुआ जिसे सही करने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर इन्द्राज को सही करवाया जा सकता है। अतः दावा खारिज होने योग्य है।

Hindi
उप खण्ड अधिकारी
बारां

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार निम्न तनकीहात विरचित की गई :-

① आया वाद पत्र की मद नं. में वर्णित आराजी कित्ता 6 रकबा 10.70 हे. वाके ग्राम बामला राजस्व रेकार्ड में झारकलाल पुत्र अर्जुन दत्तक पुत्र हरदयाल के खाते रजिस्टर्ड वसीयत हरदयाल वल्द किशोरीलाल दायका निवासी बामला के आधार पर तहसीलदार बारां के निर्णय दिनांक 12/4/2002 की पालना में फौती इन्तकाल नंबर 632 दिनांक 18/6/2002 को खाते दर्ज हुई है?
— वादी

② आया वादी का शैक्षणिक दस्तावेजात व अन्य कागजात में नाम देवेन्द्र है तथा बोलता नाम झारकलाल है जो एक ही व्यक्ति है? — वादी

③ आया वादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर नाम झारकलाल के स्थान पर देवेन्द्र पुत्र अर्जुन दत्तक पुत्र हरदयाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा पाने का अधिकारी है?
— वादी

④ आया वसीयत निर्णय दिनांक 29/5/2002 के आधार पर नामांतरकरण संख्या 632 से उक्त भूमि पर पार्टी का नाम गलत दर्ज हुआ जिसे सही करने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिये थी? — प्रतिवादी

⑤ अनुतोष

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने PW1 देवेन्द्र उर्फ झारकलाल, PW2 बुद्धिप्रकाश एवं PW3 राकेश कुमार के शपथपत्र पेश कर बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल इन्तकाल नं. 632 ग्राम बामला EX1, निर्णय तहसीलदार बारां दि. 12/4/02 EX2, गोदनामा दिनांक 4/7/83 EX3, वसीयतनामा दिनांक 4/7/83 EX4 व्याख्याता से प्रमाणित छायाप्रति अंकतालिका EX5 व EX6 प्रस्तुत कर प्रदर्श कराई।

उप खण्ड अधिकारी

— PTO

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक वादी एवं पेशकार सरकार की सुनी। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी के शैक्षणिक व पहचान के दस्तावेजात में नाम देवेन्द्र तथा राजस्व रेकार्ड में नाम द्वारकालाल अंकित होने से वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा कृषि कार्य हेतु ऋण प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। EX2 नकल निर्णय न्यायालय तहसीलदार बारां दिनांक 12/4/2002 में श्री हरदयाल के खाते की कृषि भूमि गोद पुत्र देवेन्द्र उर्फ द्वारकालाल के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था परन्तु उक्त निर्णय की पालना में खोले गये इंतकाल नंबर 632 ग्राम वामला EX1 में राजस्व कर्मियों ने देवेन्द्र उर्फ द्वारकालाल के स्थान पर नाम द्वारकालाल दर्ज कर दिया जो बदस्तूर राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में देवेन्द्र उर्फ द्वारकालाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस पेशकार सरकार ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि इंतकाल नंबर 632 में रही त्रुटि को वादी अपील के माध्यम से सही करा सकता था अतः वाद खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाये दस्तावेजात तथा बयान गवाह PW2 व PW3 के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

6/11/14
उप खण्ड अधिकारी
बारां

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि ग्राम कामला की आराजी ख.नं. 1291 रकबा 0.03 हे., 1292 रकबा 0.04 हे., 1434 रकबा 0.91 हे., 1445 रकबा 0.18 हे., 1447 रकबा 0.40 हे., 1449 रकबा 9.14 हे. कुल किता 6 रकबा 10.70 हे. पर वादी का नाम देवेन्द्र उर्फ बारकालाल पुत्र अर्जुन दत्तकपुत्र हरदयाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/12/2020 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशन मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner